फा.सं.13-328/2023-सतर्क.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(सतर्कता प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक:

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: वर्ष 2025 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक) <u>मनाने संबंधी।</u>

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 01.08.2025 के परिपत्र सं. 025/सतर्कता/047 की प्रति को, एतददवारा, सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आरंभ दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11:00 बजे एक शपथ के साथ होगा जिसे संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को लेनी होगी चाहे उनका पद कुछ भी हो और यह शपथ इसे संबंधित केन्द्रों के प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण/विभिन्न कार्यालयों के प्रभारीगण/चिकित्सा अधीक्षक अथवा उस अवसर पर उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा दिलवाई जाएगी। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है **"सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी"।** इस वर्ष के लिए मुख्य बिंदु लंबित शिकायतों का निपटान, परिसंपत्ति प्रबंधन तथा डिजिटल पहल होंगे।

तदनुसार, सभी केन्द्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे लंबित शिकयतों का शीघ्र निपटान करें तथा निवारक सतर्कता हेतु जांच एवं सतुंलन सुनिश्चित करें। यह अनुरोध भी किया जाता है कि किसी भी शिकायत के संबंध में लंबित सूचना, यदि कोई हो, शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

(विश्वेश चतुर्वेदी)

प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)

फोन: 011-26593362

ईमेल- vishwesh.aiims@gov.in

वितरण:

1. केन्द्रों के प्रमुखगण
2. चिकित्सा अधीक्षक
3. विभागाध्यक्षगण/अनुभागों/एककों के प्रभारीगण
4. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा: इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

सूचना हेतु प्रतिलिपि:

निदेशक के प्रधान निजी सचिव/अपर निदेशक (प्रशासन)/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा) के निजी सचिव/उप-सचिव के निजी सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के वैयक्तिक सहायक।

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीतिि-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं है तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि:

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध क़ानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएँगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्यों से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम शिकायतों तथा धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों की सूचना देने के लिए शिकायत निवारण तथा सूचना प्रदाता तंत्र प्रदान करेंगे;
- हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे।